रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032022-234123 CG-DL-E-11032022-234123

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] No. 191] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 2022/फाल्गुन 20, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 2022/PHALGUNA 20, 1943

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

सा.का.नि. 194(अ).—केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना नियमावली, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनगणना (संशोधन) नियम 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. जनगणना नियमावली, 1990 में,-
- (1) नियम 2 में,-
 - (क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"जनगणना अनुसूची" से ऐसी अनुसूची, कागज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रश्न अंतर्विष्ट है; और जिसे उक्त माध्यमों, जिसके अंतर्गत स्व-गणना भी शामिल है, से संयाचित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'इलेक्ट्रानिक रूप' पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में इसका है;";

1726 GI/2022 (1)

- (ख) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(गक) "स्व-गणना" से उत्तरदाताओं द्वारा स्वयं जनगणना अनुसूची को भरना, पूर्ण करना और प्रस्तुत करना अभिप्रेत है;";
- (2) नियम 5 में,-
 - (क) उपनियम (1) में,-
 - (i) खंड (ग) में, "जनगणना के संयाचन", शब्दों के पश्चात्, "और स्व गणना हेतु प्रयुक्त होने", शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे;
 - (ii) खंड (ङ) में, "माध्यमों", शब्द के स्थान पर, "या इलेक्ट्रानिक या कोई अन्य मीडिया", शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) उप नियम (6) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(ग) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो जनगणना को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक हों।";
- (3) नियम (6ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(6घ) जनगणना अनुसूची को स्व-गणना के माध्यम से भरना इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति स्व-गणना के माध्यम से जनगणना अनुसूची को भर सकेगा, पूर्ण कर सकेगा और प्रस्तुत कर सकेगा।";
- (4) नियम 8 के खंड (vii) में, "रेडियो" शब्द के पश्चात्, ", प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (5) नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(9) जनगणना अनुसूचियों और संबंधित कागजों की अभिरक्षा जनगणना के पूर्ण होने के पश्चात, संयाचिंत जनगणना अनुसूचियों तथा स्व-गणना के माध्यम से भरी हुई जनगणना अनुसूचियों को संग्रहीत आंकड़ों के प्रकरण के लिए जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जो जनगणना आयुक्त निर्देशित करे।"

[फा. सं. 9/18/2021-सीडी(सीईएन]

विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 967 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 589(अ), तारीख 19 जुलाई, 1994, सा.का.नि. 458(अ), तारीख 3 जुलाई, 2009 और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 19 जुन, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of Registrar General of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2022

- **G.S.R. 194(E).**—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of section 18 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Census Rules, 1990, namely:-
- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Census (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Census Rules, 1990,-
 - (1) in rule 2,-
 - (a) in clause (c), after the words "of the Act", the following shall be inserted, namely:-
 - ", in paper form or in an electronic form and can be canvassed in the said modes including through self-enumeration.

Explanation.- For the purposes of this clause 'electronic form' shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);";

- (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ca) 'self-enumeration' means filling-up, completion and submission of census schedule by respondents themselves;";
- (2) in rule 5,-
 - (a) in sub-rule (1),-
 - (i) in clause (c), after the words "in the census", the words "and to be used for self-enumeration" shall be inserted;
 - (ii) in clause (e), for the word "media", the words "or electronic or any other media" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (6), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(c) carry out such other tasks as may be necessary for the successful taking of the census.";
- (3) after rule 6C, the following rule shall be inserted, namely:-
 - "6D. Filling-up of census schedule though self-enumeration.-Without prejudice to any other provisions of these rules, a person may fill-up, complete and submit the census schedule through self-enumeration.";
- (4) in rule 8, in clause (vii), after the word "radio", the words "print media, electronic media, social media," shall be inserted;
- (5) for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "9. Custody of census schedules and connected papers.-After the completion of the taking of the census, the canvassed census schedules and filled in census schedules through self-enumeration, shall be kept in the office of the Director of Census Operations or at such other place the Census Commissioner may direct for processing of the data as so collected.".

[F. No. 9/18/2021-CD(CEN)]

VIVEK JOSHI, Registrar General & Census Commissioner

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) *vide* notification number S.O. 967(E), dated the 31st December, 1990 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 589(E), dated the 19th July, 1994, G.S.R. 458(E), dated the 3rd July, 2009 and G.S.R. 576(E), dated the 19th June, 2018.